

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1987/चैत्र 30, 1909  
No. 208] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1987/CHAITRA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

कामिका लोक शिवालय सेवा पेंशन मंत्रालय  
(कामिका और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1987

प्रधिसूचना

सा. का. नि. 409(प्र):—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)  
की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार  
एवम् 15 मई, 1987 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होंगे क्योंकि यह समिति सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियंत्रित है तथा भारत सरकार कामिक, लोक शिक्षा तथा पंचायत मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 2 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 730(ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—उक्त अधिसूचना की धनुषी में क्रम संख्या 7 तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात्:—

सरकार द्वारा नियंत्रित एक समिति

[सं. 11019/13/87-ए. टी]

"8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् .—

श्रीमती पी. पी. चल्सला जी. कुट्टी, सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND  
PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 20th April, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 409 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 15th day of May, 1987 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14th of the said Act shall apply to the Indian Council of Agricultural Research, being a society owned or controlled by Government, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department

of Personnel & Training) No. G. S. R. 730(E) dated the 2nd May, 1986, namely :—

In the said notification, in the Schedule, after serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“8. Indian Council of Agricultural Research.—A Society controlled by the Government ”.

[No. A-11019/13/87-AT]

MRS. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.